भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1907

03 मार्च, 2020 को उत्तरार्थ

विषय: किसानों की आर्थिक स्थिति

1907. श्री असित कुमार मालः

क्या कृषि और किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सही है कि देश में किसानों की आर्थिक स्थिति अत्यंत ही दयनीय है; और

(ख) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए और क्या प्रयास किए गए हैं?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)

(क) और (ख) राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ) द्वारा पिछला सर्वेक्षण 2013 में करवाया गया था और इसके बाद किसानों की वित्तीय स्थिति को दर्शाने वाला डाटा मंत्रालय के पास उपलब्ध नहीं है। तथापि वर्ष 2013 में भारत में एनएसएसओ द्वारा करवाए गए पिछले सर्वेक्षण के अनुसार ग्रामीण भारत में अनुमानित 90.2 मिलियन विभिन्न कृषि परिवार थे जो इसी अवधि के दौरान देश में कुल अनुमानित ग्रामीण परिवारों का लगभग 57.8% था। कृषि परिवारों की बहुसंख्यक जिनके पास 0.40% हैक्टेयर से अधिक भूमि है, वे खेती को अपनी आय की प्रमुख स्रोत होने की सूचना दी। 0.01 है. से कम भूमि वाले लगभग 56% कृषि परिवारों ने मजदूरी/रोजगार वेतन को अपनी आय के प्रमुख स्रोत होने की सूचना दी और अन्य 23% ने पशुधन को अपनी आय की प्रमुख स्रोत होने की सूचना दी। सर्वेक्षण अवधि के दौरान देश में लगभग 44% अनुमानित कृषि परिवारों के पास मनरेगा जाब कार्ड थे। देश में लगभग 52% कृषि परिवारों के ऋणी होने का अनुमान है।

कृषि ऋणग्रस्तता सहित कृषि राज्य का विषय होने के कारण राज्य सरकारें कृषि के विकास के लिए उपयुक्त उपाय करती है। हालांकि भारत सरकार उपयुक्त नीतिगत पहलों तथा बजटीय सहायता के माध्यम से राज्य सरकारों के प्रयासों में सहायता करती है। भारत सरकार विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के माध्यम से राज्य सरकारों के प्रयासों का समर्थन करती हैं। भारत सरकार की विवध स्कीमें/कार्यक्रम किसानों के कल्याणार्थ होती हैं जो उत्पादन में वृद्धि, लाभकारी रिटर्न तथा किसानों को आय सहायता देती है। सरकार द्वारा किए गए कार्यकलापों की सूची **अनुबंध** पर है। भारत सरकार के ये सभी कदम देश के किसानों के कल्याण के लिए हैं।

इसके अलावा सरकार ने किसानों की आय दोगुनी करने से संबंधी मुद्दों की जांच-पड़ताल करके और इसे प्राप्त करने के लिए कार्य नीति की सिफारिश करने के लिए अप्रैल 2016 में एक अंतर मंत्रालयी समिति का गठन किया था। समिति ने सितम्बर 2018 में सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और इसके पश्चात इसकी सिफारिशों के अनुसार निगरानी और समीक्षा करने के लिए 23.01.2019 को एक अधिकार प्राप्त निकाय का गठन किया गया था। इसकी प्राप्ति करने के लिए समिति ने आय बढ़ोतरी के 7 स्रोतों की पहचान की है यथा; फसल उत्पादकता में सुधार; पशुधन उत्पादकता में सुधार; संसाधन उपयोग दक्षता अथवा उत्पादन लागत में बचत, फसलन सघनता में वृद्धि; उच्च मूल्य फसलों की ओर विविधिकरण; किसानों द्वारा प्राप्त वास्तविक मूल्यों में सुधार; और कृषि से गैर कृषि व्यवसाओं की ओर जाना।

लो.स.अता.प्र.सं.1907

अनुबंध

<u>किसानों के लाभ के लिए शुरू किए गए विभिन्न कार्यक्रम एवं योजनाएं</u>

i. देश भर में सभी किसान परिवारों को आय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने नई केंद्रीय क्षेत्रक योजना अर्थात् प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) शुरू की है ताकि उन्हें कृषि और संबद्ध कार्यकलापों के साथ-साथ घरेलू आवश्यकताओं से संबंधित खर्चों को वहन करने में सक्षम बनाया जा सके। इस योजना का लक्ष्य उच्च आय समूह से संबंधित कतिपय अपवर्जनों के अधीन किसान परिवारों को प्रति वर्ष 2000 रुपए की 4 माह के अंतराल पर तीन मासिक किस्तों में 6000/- रुपए की राशि का भुगतान करना है।

ii. इसके अलावा, सरकार ने छोटे और सीमांत किसानों (एसएमएफ) को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के प्रयोजनार्थ इन किसानों को वृद्धावस्था पेंशन प्रदान करने के लिए एक अन्य नई केन्द्रीय क्षेत्रक योजना अर्थात् प्रधानमंत्री किसान मान-धन योजना (पीएम-केएमवाई) कार्यान्वित करने का निर्णय लिया है क्योंकि उनके पास ऐसी कोई बचत नहीं होती है कि वे अपनी आजिविका का साधन समाप्त होने पर वृद्धावस्था में अपनी जरूरतें पूरी कर सकें। इस स्कीम के तहत पात्र 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर कतिपय अपवर्जन उपखंडों (एक्सक्लूजन क्लॉज) के अधीन लघु और सीमांत किसानों को प्रति माह न्यूनतम 3000/- रूपए की निर्धारित पेंशन दी जाएगी।

iii. जोखिम कम करने के लिए फसलों को बेहतर बीमा कवरेज प्रदान करने के उद्देश्य से खरीफ, 2016 मौसम से फसल बीमा योजना नामत: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) की शुरूआत की गई थी। इस योजना में विशिष्ट स्थितियों में फसलोपरांत जोखिमों सहित फसल चक्र के सभी चरणों के लिए बीमा कवर प्रदान किया जाता है और किसानों को बहुत कम प्रीमियम अंशदान देना पड़ता है।

iv. किसानों की आय को बढ़ाने के लिए सरकार ने 2018-19 के मौसम से सभी खरीफ और रबी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को उत्पादन की लागत का कम से कम 150 प्रतिशत तक बढ़ाने की मंजूरी दी है।

v. किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड के वितरण की फ्लेगशिप स्कीम का कार्यान्वयन करना ताकि उर्वरकों के विवेकपूर्ण उपयोग को बढ़ावा दिया जा सके।

vi. 'प्रति बूंद अधिक फसल" पहल जिसके तहत जल के ईष्टतम उपयोग के लिए तथा इनपुट की लागत को कम करने तथा उत्पादकता बढ़ाने के लिए ड्रिप/स्प्रिंकलर सिंचाई को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

vii. "परम्परागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई)" जिसके अंतर्गत जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है।

viii. किसानों को इलेक्ट्रॉनिक पारदर्शी व प्रतिस्पर्द्धात्मक ऑनलाइन व्यापार मंच उपलब्ध कराने के लिए ई-नाम की शुरूआत की गई है।

ix. "हर मेढ़ पर पेड़" के अंतर्गत अतिरिक्त आय के लिए कृषि वानिकी को बढ़ावा दिया जा रहा है। भारतीय वन अधिनियम, 1927 में संशोधन होने के साथ ही बांस को वृक्षों की परिभाषा से हटा दिया गया। वर्ष 2018 में पुनर्गठित राष्ट्रीय बांस मिशन की शुरूआत की गई है ताकि गैर-वन्य सरकारी एवं साथ ही निजी भूमि पर बांस रोपण को बढ़ावा दिया जा सके और मूल्य संवर्धन, उत्पाद विकास और बाजारों पर बल दिया जा सके।

x. किसान हितैषी कार्यकलापों को गति प्रदान करने के लिए सरकार ने एक नई केंद्रीय क्षेत्रक स्कीम- "प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा)" का अनुमोदन किया है। इस योजना का उद्देश्य केंद्रीय बजट, 2018 में की गई घोषणा के अनुसार किसानों को अपनी उपज के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करना है। किसानों की आय को संरक्षित करने के लिए भारत सरकार द्वारा उठाया गया यह एक अभूतपूर्व कदम है और यह किसानों के कल्याण के लिए मील का पत्थर साबित होगा।

xi. मधुमक्खी पालन कार्यक्रम को परागण के जरिए फसलों की उत्पादकता बढ़ाने और किसानों की आय के अतिरिक्त स्रोत के रूप में शहद के उत्पादन में वृद्धि करने के प्रयोजनार्थ समेकित बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच) के तहत बढ़ावा दिया जा रहा है।

xii. पर्याप्त ऋण प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए, सरकार ने कृषि क्षेत्र में ऋण के प्रवाह के लिए वार्षिक लक्ष्य निर्धारित किया है। इसमें बैंकों ने लगातार वार्षिक लक्ष्य से अधिक उपलब्धि दर्ज की है। वित्तीय वर्ष 2019-20 का कृषि ऋण प्रवाह लक्ष्य 13.50 लाख करोड़ रूपये और वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए 15.00 लाख करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है।

xiii. किसानों को अधिक से अधिक संस्थागत ऋण उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकताओं में से एक है तथा इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार 3.00 लाख रूपए तक के अल्पावधि फसल ऋण पर किसानों को ब्याज में 2 प्रतिशत की छूट देती है। इस समय किसानों को शीघ्र ऋण अदायगी करने पर प्रतिवर्ष 4 प्रतिशत ब्याज दर ऋण उपलब्ध है।

xiv. इसके अलावा, ब्याज छूट स्कीम 2018-19 के तहत प्राकृतिक आपदा होने पर किसानों को राहत दिए जाने के लिए पुनर्संरचित राशि पर एक वर्ष के लिए बैंकों को ब्याज पर 2 प्रतिशत छूट देने की व्यवस्था जारी रहेगी। किसानों द्वारा अपने उत्पादों को मजबूरी में बेचने से रोकने और नेगोसिएबल रसीदों पर गोदामों में अपने उत्पादों का भंडारण करने के प्रयोजनार्थ किसान क्रेडिट कार्ड धारक छोटे एवं सीमांत किसानों को अगले 6 माह की अवधि हेतु इसी दर पर फसलोपरांत ऋण उपलब्ध होंगे।

xv. सरकार ने पशुपालन और मात्स्यिकी से संबंधित कार्यकलाप करने वाले किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) की सुविधा देने का अनुमोदन किया है। केसीसी के नवीनीकरण के लिए प्रोसेसिंग फीस, निरीक्षण, लेज़र फोलियो चार्ज और अन्य सभी सर्विस चार्ज माफ कर दिए गए हैं। लघु अवधि के कृषि-ऋण के लिए संपार्श्विक ऋण शुल्क की सीमा 1.00 लाख रु. से बढ़ाकर 1.60 लाख रु. कर दी गई है। पूर्ण आवेदन प्राप्त होने के 14 दिन के भीतर केसीसी जारी कर दिया जाएगा।

****